

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1575 / एफ-1-196/31/एस-2/2020,

नवा रायपुर, दिनांक 25/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

राजनांदगांव जिले के विकासखंड-अम्बागढ़ चौकी की दालेकसा नाला पर आतरगांव एनीकट क्रमांक-02 योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :-

1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-291/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2019/15009,
दिनांक 26.11.2019.

2. मुख्य अभियंता का पत्र क्र-47/डी-2/मगोक/2019/9950, रायपुर दि. 14.08.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव जिले के विकासखंड-अम्बागढ़ चौकी की दालेकसा नाला पर आतरगांव एनीकट क्रमांक-02 योजना हेतु लागत राशि रु. 261.09 लाख (रुपये दो करोड़ इकसठ लाख नौ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

- योजना निस्तारी, भू-जल संवर्धन एवं कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 150 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
- कार्य विभाग नियमावली की कड़िका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
- योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702-लघु सिंचाई पर पूजी परिव्यय, {102}-भूतल जल 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना (5059)-एनीकट/स्टापडेम निर्माण, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 10.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
- योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
- संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/03/2021
(प्रमोद सिंह धरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग